भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 अगस्त, 2012

संख्या का०आ० 62/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2012.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 2/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2012, दिनांक 26 जून, 2012 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में, अनुसूची ग में,

(i) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 14 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2
"14	बिटूमन जिसमें बिटूमन ईमलशन तथा क्रम रबड़ मोड़िफाई बिटूमन शामिल है"

(ii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 25 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2
"25	बल्क औषधियां, औषधियां, दवाईयां, टीका, औषधि अनुज्ञप्ति के अधीन उत्पादित औषधयुक्त मरहम, आई०पी० ग्रेड लाईट लिक्विड पैराफिन, सीरींजे, पट्टियां, ग्लूकोस-डी, जीवन रक्षक घोल, चिकित्सीय उपकरण/यन्त्र तथा इम्पलांट, ऑपरेशन थिएटर में रोगियों की सर्जरी के लिये प्रयुक्त सर्जिकल टेबल्स तथा सर्जिकल लाईटस"

राजन गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।